RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३६] बुधवार, नोव्हेंबर ८, २०१७/कार्तिक १७, शके १९३९ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

विधि तथा न्याय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ३० अक्तूबर २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXIV OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE PANDHARPUR TEMPLES ACT, 1973.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २४ सन् २०१७।

पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १९७४ का ९।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश पंढरपुर मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २ में संशोधन।

२. पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के खण्ड (ध) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९७४ का महा. ९।

" (ध) " सदस्य " का तात्पर्य, समिति के सदस्य से है और इसमें धारा २१ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष सम्मिलित होंगे ; " ।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २१ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २१, की उप-धारा (१) के,—

(क) खण्ड (क) में, " अध्यक्ष सम्मिलित होगा " शब्दों के स्थान में, " अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष सम्मिलित होगा " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु, सह-अध्यक्ष जैसा की विहित किया जाए, अध्यक्ष के ऐसे कार्यों का अनुपालन और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ; "।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २४ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा २४ के परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९७४ का महा. अध्या. क्र. २४।

" परन्तु आगे यह कि, पंढरपुर मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ के प्रारम्भण के पश्चात्, नियुक्त प्रथम सह-अध्यक्ष का पदावधि नियुक्त किये गये समिति सदस्यों की पदावधि से सह-पर्यवसित होगी, देखिए सरकारी अधिसूचना, विधि तथा न्याय विभाग, क्रमांक पीटीए. २०१४/सी.आर. ०७/डी-१६, दिनांकित ३ . . . . . "।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २५ में का प्रतिस्थापन।

५. मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" **२५.** (१) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई सदस्य, अध्यक्ष को अपने स्वहस्ताक्षरित पत्ते द्वारा अध्यक्ष को अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(२) सह-अध्यक्ष और अध्यक्ष, राज्य सरकार को उसी प्रकार की सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेंगे।

(३) सूचना विहित रीत्या में परिदत्त की जायेगी।

(४) सदस्य का पद, अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति के दिनांक से रिक्त होगा और सह-अध्यक्ष या, यथास्थिति, अध्यक्ष का पद राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति के दिनांक से रिक्त होगा। "।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा २९ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा २९, की उप-धारा (१) में, " अध्यक्ष या सदस्य " शब्दों के स्थान में, " अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष या सदस्य " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा ३० में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ३० की, उप-धारा (५) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

(५) समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसकी अनुपस्थिति में सह-अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, और अध्यक्ष तथा सह-अध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उस अवसर के लिए अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों में से चयनित सदस्य द्वारा की जायेगी। "।

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा ३१ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, " अध्यक्ष या " शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में " अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष या " शब्द रखे जायेंगे।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

सन् १९७४ का महा. ९।

९. (१) पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो इस अध्यादेश द्वारा, यथा संशोधित, राज्य सरकार **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, उक्त अधिनियम के उपबंधों से अन्-असंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के बाद, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष के रखा जायेगा।

वक्तव्य।

पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ (सन् १९७४ का महा. ९) **अन्य बातों के साथ-साथ** पंढरपुर में विठ्ठल और रुक्मिणी के मंदिर में कार्यरत सेवक और पुरोहिती प्रवर्गों के सभी वंशागत अधिकारों, विशेषाधिकारों के उत्सादन के साथ ही ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों के अर्जन के लिये और प्रयोजन के लिये स्थापित समिति में ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों को निहित करने के लिये और उन मंदिरों के बेहतर प्रशासन और सुशासन के लिये उपबंध करता हैं।

इन मंदिरों में, **चैत्री, आषाढी, कार्तिकी** और **माघी यात्राओं** के संबंध में धार्मिक कृत्य और धर्मानुष्ठान परंपरागत रीति से संपन्न होते हैं।

२. उक्त अधिनियम की धारा २१, राज्य सरकार को, राज्य में साधारण रुप से रहनेवाले व्यक्तियों में से, जो भगवान **विठ्ठल** और देवी **रुक्मिणी** के भक्त हैं और जो उनकी नियुक्ति के पूर्व, इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित प्ररुप में तद्नुसार, अभिघोषणा करता हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष समेत ग्यारह सदस्यों से सम्मिलित समिति स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती हैं और पंढरपुर नगर परिषद का अध्यक्ष, **पदेन सदस्य** होगा।

३. समिति के कार्यों के अधिक समन्वयन और कार्यक्षम प्रबंधन के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश से और परंपराओं और रिवाजों के अनुपालन के साथ धार्मिक कृत्य और धर्मानुष्ठान संपन्न किये जाते हैं ओर धार्मिक भावनाओं को सम्यक् महत्व दिया जाता हैं कि सुनिश्चिति करने की दृष्टि से समिति के सह-अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिये उपबंध करना इष्टकर समझा गया हैं, जो, नियमों द्वारा विहित किया जाए अध्यक्ष के ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अतः इसलिये, उक्त अधिनियम में यथोचित संशोधित करना इष्टकर हैं।

४. ३१ अक्तूबर, २०१७ को होनेवाली आगामी **कार्तिकी यात्रा** को ध्यान में रखते हुये, इस निमित्त संशोधनों का कार्यन्वयन करना इष्टकर समझा गया हैं।

५. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण उन्हें, उपरोक्त प्रयोजनों के लिये, पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ (सन् १९७४ का महा. ९) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं।

मुंबई,
दिनांकित २८ अक्तूबर २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

बि. ज. जमादार,
सरकार के प्रधान सचिव और विधि परामर्शी।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.